भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3289

उत्तर देने की तारीख-16/12/2024

चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट प्रोग्राम में नामांकित छात्र

†3289. श्री जगन्नाथ सरकार:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में सीएफए संस्थान, यूएसए द्वारा प्रस्तुत चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट (सीएफए) कार्यक्रम में नामांकित भारतीय छात्रों की संख्या कितनी है तथा ऐसे कितने छात्रों ने आज तक सफलतापूर्वक सीएफए पदनाम प्राप्त किया है;

(ख) क्या सरकार सीएफए संस्थान, यूएसए द्वारा प्रस्तुत सीएफए योग्यता को आधिकारिक रूप से मान्यता देती है, तथा क्या देश में इस डिग्री की मान्यता से संबंधित कोई विशिष्ट विनियामक प्रावधान हैं;

(ग) क्या सरकार भारतीय नागरिकों के लिए सीएफए कार्यक्रम में शामिल होने से जुड़ी उच्च फीस के बारे में जानती है, तथा इस मुद्दे को हल करने या छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) क्या कोई समतुल्य या वैकल्पिक कार्यक्रम हैं जो देश में वित्तीय विश्लेषण और निवेश प्रबंधन शिक्षा के समान स्तर की पेशकश करते हैं तथा देश के भीतर ऐसे कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए क्या पहल की गई है/की जाती है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (घ): कारपोरेट कार्य मंत्रालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने सूचित किया है कि उनके पास इस संबंध में कोई सूचना नहीं है।

विदेश मंत्रालय ने भी यह सूचित किया है कि यह सूचना उनके पास उपलब्ध नहीं है। तथापि, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी में उपलब्ध सूचना के अनुसार, अमेरिका में उच्चतर अध्ययन कर रहे भारतीय छात्रों की संख्या 2,55,443 (नवंबर, 2024 की स्थिति के अनुसार) है।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने दिनांक 13-03-1995 की अधिसूचना के तहत यह निर्णय लिया था कि वे विदेशी अर्हताएं, जिन्हें भारतीय विश्र्वविद्यालय संघ (एआईयू) द्वारा मान्यता/समानता प्रदान की गई है, को केन्द्र सरकार के अंतर्गत पदों और सेवाओं में रोजगार के प्रयोजनार्थ मान्यता प्राप्त माना जाए। इस संबंध में, भारतीय विश्र्वविद्यालय संघ ने सूचित किया है कि चार्टर्ड वित्तीय विश्लेषक (सीएफए) व्यावसायिक अर्हता होने के कारण एआईयू के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है जो तदनुरूपी भारतीय अर्हताओं के साथ विदेशी शैक्षिक अर्हताओं के समतुल्यता प्राप्त करता है।

******